झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 12 फाल्गुन, 1944 [श0] / 03 मार्च, 2023 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
65–	अ0सू0– 17	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	कार्य शुरू कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0कल्याण	23.02.2023
66–	अ0सू0– 22	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	आवेदनों का निपटारा करना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	24.02.2023
67–	अ0सू0– 02	श्री केदार हजरा	अनुबंध कर्मियों को नियमित करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2023
68–	अ0सू0– 08	श्री राजेश कच्छप	पुराने एक्ट को लागू करना।	विधि	22.02.2023
69–	अ0सू0– 29	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	मामलो का निपटारा।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	25.02.2023
70–	अ0सू0– 23	श्री प्रदीप यादव	आरोपों की जाँच कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	24.02.2023
71–	अ0सू0– 09	डॉ0 इरफान अंसारी	असाध्य बीमारियों को सम्मिलित करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	22.02.2023
72–	अ0सू0– 07	श्री अमित कुमार यादव	लंबित वेतन का भुगतान	उत्पाद एवं मद्य निषेद्य	21.02.2023

01.	02.	03.	04.	05.	06
73—	अ0सू0— 05	डॉ0 सरफराज अहमद	दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	21.02.2023
74—	अ0सू0— 01	श्री विनोद कुमार सिंह	अनुबंधकर्मियों को समायोजित करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	14.02.2023
75—	अ0सू0— 21	श्री मनीष जायसवाल	जमीन वापस लेना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	24.02.2023
76—	अ0सू0— 20	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	लंबित मामलों का निपटारा करना।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	24.02.2023
77—	अ0सू0— 28	श्री अनन्त कुमार ओझा	योजना का लाभ।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	25.02.2023
78—	अ0सू0— 10	श्री बिरंची नारायण	दोषियों पर कार्रवाई।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	22.02.2023
79—	अ0सू0— 06	श्री समीर कुमार मोहन्ती	योजना का लाभ दिलाना।	श्रम,नियो0प्रशि0 एवं कौशल विकास	21.02.2023
80—	अ0सू0— 30	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	25.02.2023
81—	अ0सू0— 04	श्री नवीन जायसवाल	एंबुलेन्स उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2023
82—	अ0सू0— 16	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	नियमितिकरण करना।	श्रम,नियो0प्रशि0 एवं कौशल विकास	23.02.2023
83—	अ0सू0— 13	डॉ0 लम्बोदर महतो	दोषियों पर कार्रवाई।	रा0नि0 एवं भूमि सुधार	23.02.2023

राँची,
दिनांक— 03 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 06/2020.....635...../वि0स0, रांची, दिनांक— 27/02/23

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 06/2020.....635...../वि0स0, रांची, दिनांक— 27/02/23

प्रतिः— आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— झा0 वि0 स0 प्रश्न— 06/2020.....635...../वि0स0, रांची, दिनांक— 27/02/23

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, ऑनलाइन एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2023
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष

27/02/23

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 17 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीनस्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, झारखण्ड को राँची जिला के ईटकी में नेशनल सेन्टर फॉर डिजीज कन्ट्रोल के भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।	स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि निर्धारित योजना के अनुरूप अबतक भवन निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था और नेशनल सेन्टर फॉर डिजीज कन्ट्रोल का कार्य भी शुरू हो जाना चाहिए था ?	अस्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार की योजना के तहत इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची अवस्थित इटकी स्टेशन के बगल में आरोग्यशाला के अधिग्रहित खाली जमीन पर नेशनल सेन्टर फॉर डिजीज कन्ट्रोल के भवन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवन का निर्माण CPWD के कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के द्वारा कराई जा रही है। वर्तमान में भवन बनकर तैयार है। NCDC भवन अभी तक हस्तांरित नहीं की गई है। केन्द्रीय प्रतिनिधि द्वारा उक्त भवन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में डॉ0 शिखा वर्द्धन (JDNCDC) के द्वारा बताया गया है कि इस भवन में (Bio Lab-III) भी संचालित की जानी है। इस हेतु 2.5 करोड़ रूपये केन्द्रीय मद से आवंटित की जानी है जो अप्राप्त है। HR एवं Medical Equipment की कमी के कारण भी वर्तमान में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कार्य अभी शुरू नहीं की गई है। सभी कार्य एवं संचालन की कार्रवाई CPWD के द्वारा की जा रही है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस केन्द्र को अविलम्ब शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	National centre for Disease control भवन का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार की योजना के तहत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा कराया गया है। उक्त केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा केवल भूमि उपलब्ध कराई गई है। सभी कार्य एवं संचालन की कार्रवाई CPWD के द्वारा ही किया जाना है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 5/पी0 वि0स0 (अल्प सू0)– 06/2023– 217(5) स्वा0, राँची, दिनांक : 02.03.2023

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–347/वि0स0, दिनांक– 23.02.2023 के क्रम में 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.2023

अवर सचिव

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–22 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है, कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के तहत् जमीन के मूल रैयतों/भू–स्वामियों को उनकी भूमि वापस देने के लिए दखल–दिहानी का प्रावधान है;	5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71A एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1950 की धारा–20 (5) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का प्रावधान है। गैर 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46(4–A) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है, कि दखल–दिहानी हेतु सरकार के पास विभिन्न जिलों से आवेदन प्राप्त हुए हैं तो सरकार यह बतलाएगी की छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) के तहत् कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए दखल–दिहानी का आदेश निर्गत किया गया;	स्वीकारात्मक। विशेष विनियमन न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश के आलोक में भौतिक दखल दिहानी अंचल अधिकारी द्वारा किया जाता है। पुरे राज्य में उपायुक्तों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक–01.03.2023 तक SAR Court एवं अन्य न्यायालय में लंबित मामले की अद्यतन स्थिति:–

SAR Court एवं अन्य न्यायालय के कुल वाद	निष्पादित वादों की संख्या	लंबित वादों की संख्या	दखल दिहानी की संख्या	पहला नोटिस (कितने मामलों में)	दस दिन बाद दुसरा नोटिस (कितने मामलों में)
4227	901	3326	279	1068	524

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दखल–दिहानी संबंधी आवेदनों के निपटारा अविलम्ब करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	W.P.(PIL) No.3700/2013 सुनील उराँव–बनाम–झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–01.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–5102, दिनांक–27.12.2018 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को निम्नवत् निदेश दिया गया है:– छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71A के तहत अंतिम पारित आदेश के अनुपालन में SAR न्यायालयों द्वारा संबंधित अंचल के अंचल अधिकारियों को दखल–दिहानी दिलाने का आदेश निर्गत किया जाय। न्यायालयों से प्राप्त आदेश के जबाव में गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपना पक्ष रख सके। यदि प्रश्नगत मामलें में किसी अपीलीय/रिविजनल न्यायालय द्वारा स्थगनादेश आदि निर्गत हो अन्यथा की स्थिति में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए भू–वापसी मामलों में दखल दिहानी (Physical Possession) दिलाया जाय। समय समय पर इस संबंध में निदेश दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 06/वि0स0(अ0सू0)–73/2023 863 (6)/रा. राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–406/वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 दिनांक 03.03.2023 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य यक्ष्मा अनुबंध कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पत्रांक–24/23, दिनांक 08.02.2023 के द्वारा यक्ष्मा (टी0बी0) विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन से संबंधित पत्र दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित प्रश्न में पिछलें 23 वर्षो से लगातार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है;	NHM के तहत कार्यरत यक्ष्मा अनुबंधित कर्मी का राज्य यक्ष्मा कार्यालय द्वारा नियमितीकरण नहीं किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 एवं 02 में निहित कार्यरत अनुबंध कर्मी के 60 वर्ष पूरा हो जाने के बाद इनकी सेवा का कोई महत्व नही होगा,	स्वीकारात्मक। यक्ष्मा अनुबंधित कर्मियों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड के अधीन सेवा काल 60 वर्ष तक हीं है।
4	क्या यह बात सहीं है कि अन्य राज्यों में अनुबंध पर कार्यरत राज्य के यक्ष्मा के कर्मचारी एवं पदाधिकारी को नियमित कर दिया गया है लेकिन झारखण्ड राज्य में अब तक नियमित नहीं किया गया है,	अन्य राज्यों के संबंध में औपचारिक सूचना अप्राप्त है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य यक्ष्मा अनुबंधित कर्मचारी संघ के पत्रांक –24/34, दिनांक 08.02.2023 पर समुचित कार्रवाई करते हुए अनुबंध कर्मियों को नियमित करने पर विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यो?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार के परामर्श से संभव है। वर्तमान में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–05/2023 53(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–52 वि0स0, दिनांक 17.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.24

सरकार के उप सचिव।

श्री राजेश कच्छप, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को सदन में पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–08 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि Court fees Act (Jh. Amendment) 2022 को सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू कर दिया गया है,	:–	अस्वीकारात्मक। कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022 झारखण्ड विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल की सहमति हेतु प्रक्रिया में है। माननीय राज्यपाल महोदय के सहमति प्राप्ति उपरांत ही विधेयक अधिनियमित होगा।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित fees जो पहले रू0–50,000/– था, को बढ़ाते हुए रू0–3,00,000/– कर दिया गया है,	:–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा अधिकतम कोर्ट फीस रू0–50,000/– को बढ़ाकर रू0–3,00,000/– तक सीमित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट फीस की राशि को कम करने हेतु कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है, जिसपर माननीय राज्यपाल की सहमति लिये जाने की प्रक्रिया में है।
3.	क्या यह बात सही है कि Suit value में बढ़ोतरी करते हुए 15 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले 2 से 3 प्रतिशत था,	:–	अस्वीकारात्मक। कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2021 के द्वारा कोर्ट फीस में बदलाव किया गया है, न कि Suit value में।
4.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कई Specific Law Act लागू है जिनकी Violation से मुकदमों की अंबार लगी रहती है और जिस प्रकार की Court Fees में बढ़ोतरी की गई है उससे आदिवासी पिछड़े व कमजोर वर्ग प्रभावित होगे,	:–	अनिश्चियात्मक।
5.	उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार खण्ड–1,2,3 एवं 4 में वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर जनहितार्थ Jh. Court fees Act, 2022 को पुराने रूप में ही लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	:–	उपरोक्त कंडिकाओं यथा कंडिका–(1), (2), (3) एवं (4) के उत्तर प्रतिवेदन में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक– ए/विधि–वि0स0प्र0–05/2023– 501 /जे0, राँची, दिनांक– 27 फरवरी, 2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–216/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

27/02/2023

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–29 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित विचाराधीन मामले (Approx): 1,68,810 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से सबंधित विचाराधीन मामलों में सन्निहित कुल रकबा (एकड़ में) (Approx): 3,72,862 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित निष्पादित मामले: 15,490 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से सबंधित विचाराधीन मामलों में सन्निहित कुल रकबा (एकड़ में) (Approx): 25471.56
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से 3.62 लाख एकड़ से अधिक जमीन की अवैध जमाबंदी की जा चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य हित में अवैध जमाबंदी के मामलों का शीघ्र निपटरा करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला स्तर एवं राज्य स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स0भू0 वि0स0 (अ0सू0)–33/2023 843/(5)/रा0 राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–504/वि0स0, दिनांक–25.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.3.2023
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में रिनपास, राँची में सिक्यूरिटी एजेंसी के चयन में घोर लापरवाही बरती गई है; (दैनिक भास्कर, दिनांक-13.02.2023)	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि रिनपास में सिक्यूरिटी एजेंसी "सामंथा सिक्यूरिटी इंटेलिजेंस" ने फर्जी कागजातों एवं वहाँ के पदाधिकारियों की मिलीभगत के बदौलत L1 कम्पनी को काम नहीं देकर सामंथा सिक्यूरिटी L2 को टेंडर दिया गया;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि रिनपास सहित अनेक स्वास्थ्य संस्थानों में उकत कम्पनी ने अपनी पहुँच के बल पर टेन्डर प्राप्त किया है;	अस्वीकारात्मक। मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी पर लगे सभी आरोपों की उच्चस्तरीय जाँच कराना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों 1, 2 एवं 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-12/वि0स0-04-01/2023 56(12) स्वा0/राँची/दिनांकः-

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-357 वि0स0 दिनांक- 02/03/23 24.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23

सरकार के उप सचिव।

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि मुख्यमंत्री असाध्य योजना अंतर्गत मात्र लिवर ट्रांसप्लांटेशन, विभिन्न प्रकार के कैंसर जनित रोग, किडनी जनित रोग एवं एसिड अटैक से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों, जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 8,00,000/- तक है आच्छादित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प-39(13) दिनांक-14.02.2020 एवं संकल्प-179(13) दिनांक-12.09.2022 द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत लिवर ट्रांसप्लांटेशन, सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक के साथ-साथ 17 अन्य बीमारियों (सूची संलग्न) से पीड़ितों, जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक 8.00 लाख रू0 से कम हो, को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति का प्रावधान है।
2. क्या यह बात सही है, कि इस योजना अंतर्गत उपरोक्त रोगों के अतिरिक्त अन्य असाध्य रोग जैसे हृदय रोग आदि के आच्छादित नही होने के कारण पात्र रोगियों एवं उनके परिवारों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प-179(13) दिनांक-12.09.2022 के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत पूर्व से सूचीबद्ध रोगों की सूची में 17 अन्य रोगों की भी सूचीबद्ध किया गया है जिसमें हृदय रोग भी शामिल है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित बीमारियों के अतिरिक्त अन्य असाध्य बीमारियों को भी मुख्यमंत्री असाध्य योजना अंतर्गत सम्मिलित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-02/2023 50 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 01/3/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-212/वि0स0 दिनांक-22.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.23
सरकार के उप सचिव।

अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0 07 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्नकर्त्ता– श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0</th><th>उत्तरदाता– माननीय मंत्री श्री जगरनाथ महतो</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में सरकार द्वारा संचालित विदेशी/देशी शराब की दुकानों से अपेक्षानुसार कम बिक्री होने के कारण राज्य सरकार को घोर राजस्व का नुकसान हो रहा है;</td><td>– माननीय स0वि0स0 द्वारा की गई पृच्छा के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है –
दिनांक 01.05.2022 से नई उत्पाद नीति– झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत खुदरा उत>पाद दुकानों का संचालन JSBCL के माध्यम से किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में खुदरा उत्पाद दुकानों से प्राप्त बिक्री की राशि (करोड़ रूपये में) निम्नवत है –
<table>
<tr><th>मई</th><th>जून</th><th>जुलाई</th><th>अगस्त</th><th>सितम्बर</th><th>अक्टूबर</th><th>नवम्बर</th><th>दिसम्बर</th><th>जनवरी</th><th>फरवरी</th></tr>
<tr><td>218.40</td><td>278.46</td><td>261.68</td><td>254.80</td><td>260.44</td><td>306.49</td><td>279.74</td><td>316.19</td><td>319.53</td><td>291.55</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td colspan="5">2787.28
(दो हजार सात सौ सतासी करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये)</td></tr>
</table>
इस प्रकार माह फरवरी, 2023 तक 2787.28 करोड़ रूपये की बिक्री राशि प्राप्त हुई है। अपेक्षित राशि से कम बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेन्सी, जिनके उपर मदिरा की बिक्री की जिम्मेवारी निर्धारित है, पर नियमानुसार कुल 44.17 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
प्लेसमेंट एजेन्सी के विरूद्ध अधिरोपित अर्थदण्ड का समायोजन उनके द्वारा जमा बैंक गारंटियों एवं प्रस्तुत भुगतान विपत्र से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के राजस्व निहित अर्थदण्ड की गणना कर इसकी प्राप्ति हेतु विभाग प्रवृत्त है एवं इसके लिए आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु दृढ़-संकल्पित है।
थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति संख्या WS_01 एवं WS_02 क्रमशः मेसर्स दीशिता वेन्चर्स प्रा0 लि0 तथा मेसर्स ओम साईं बिवरेजेज प्रा0 लि0 के उपर अबतक 4.16 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिसकी वसूली JSBCL द्वारा कर ली गई है।
एकरारनामा के अनुसार राजस्व क्षति की वसूली हेतु प्लेसमेंट एजेन्सियों के उपर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के माह फरवरी तक के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1717.71 करोड़ रूपये के उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है, जबकि गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के माह फरवरी तक 1510.30 करोड़ रूपये उत्पाद राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 207.41 करोड़ रूपये (13.73%) अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अपेक्षित राजस्व संग्रहण हेतु कृत संकल्पित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि शराब दुकानों में कार्यरत</td><td>अस्वीकारात्मक। प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा समर्पित सभी अभिश्रवों का भुगतान/समायोजन JSBCL द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान में JSBCL के स्तर</td></tr>
</table>

	कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी राशि की कमी के कारण विगत 6 माह से लंबित है;	पर एक भी अभिश्रव लंबित नहीं है। अतएव यह कहना समीचीन नहीं होगा कि राशि की कमी के कारण कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। JSBCL एवं प्लेसमेंट एजेंसी साथ साथ हुये उभयपक्षीय एकरारनामा के कंडिका 07 के अनुसार **PAYMENT TERMS** निम्नवत् है :– The Placement Agency shall prepare monthly bills in triplicate and submit on or before by 10th of each month for works done in previous month to the Officer In charge of the district concerned. The total monthly bill shall be payable after certificate for completion for Empanelment of Placement Agency for Supply of Manpower for Corporation & establishments under various districts. The Placement Agency shall be responsible to submit the bills, which are prepared accurately, and giving all details to facilitate early payment as below. I. MUSTER Roll wages register showing – a. The details of laborer's / Employees engaged. b. Duration of their engagement. c. The amount of wages paid to such as labourer's /Employees for duration in question. II. The attendance of employees will be registered on Corporation Server through online mechanism decided by JSBCL. The payment of the employees will be calculated as per attendance registered on Server by the employees. III. The salary including extra hours and Handling Charges will be disbursed to employees through a bank decided by JSBCL. Each individual will be paid through the bank. The bank will provide the information of payment of salary and Handling Charges on monthly charges for verification of payments to employees. IV. The losses incurred in district as per Audit report will be deducted from the total amount due to be paid as handling charges and rest amount will be paid to employees as per quantum of sale in the shop in the concerned month. V. If the losses reported in Audit Report are more than Handling Charges then the rest amount will be deducted from the fixed Placement Agency margin. VI. In no case any amount other than penalty as prescribed in Penalty clause is to be imposed on Employee. VII. Copies of authenticated documents of payments of EPF contribution paid for the last month should be attached along with the current month bill. VIII. Copies of payment of ESIC contribution for last month should be attached along with the current month bill. IX. Confirmation letter from bank certifying the disbursal of salary to manpower along with UTR (Unique transaction receipt) Number. X. GST will be paid extra, as applicable. उक्त कंडिका के आलोक में JSBCL के द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी से सभी प्राप्त विपत्र की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। विभिन्न निगमीय पत्रांक 1279 दिनांक 23.09.2022, 1331 दिनांक 29.09.2022, 1596 दिनांक 02.11.2022, 1834 दिनांक

		29.11.2022, 353 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को ससमय वेतन भुगतान करने हेतु निदेशित किया जाता रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में वर्तमान बिक्री व्यवस्था की समीक्षा करते हुए हो रही राजस्व हानि में सुधार लाकर कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	– उपरोक्तानुसार JSBCL नियमानुसार कर्मचारियों को प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से वेतन भुगतान हेतु अभिश्रव ससमय प्राप्त होने पर वेतन भुगतान करने हेतु कृत संकल्पित है।

झारखंड सरकार,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक– 04/विधायी–04–02/2023 (उ0)–520/ राँची दिनांक 2/3/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र०–07/वि0स0 दिनांक– 21.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

73

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2023 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के माड्यूलर ओ0टी0 के लिए विज्ञापित निविदा के आधार पर ही अन्य 12 माड्यूलर ओ0टी0 की खरीदारी का निर्णय लिया गया है,	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त खरीदारी के लिए स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के बगैर ही खरीदारी की गयी जबकि नियमानुसार एक करोड़ से अधिक राशि की खरीदारी के लिए स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा आवश्यक है,	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि नियमों का उल्लंघन कर 12 माड्यूलर ओ0टी0 की खरीद के कारण सरकारी राजस्व को करीब 25 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है,	विषयांकित मामले की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक-258(11)दिनांक-03.09.2022 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जाँच की कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार वर्णित मामलों की उच्चस्तरीय जाँच कराकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-01/2023 64 (11) दिनांक- 01/3/2023

प्रतिलिपिः-उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0-143 वि0स0 दिनांक-21.02.2023 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.23

सरकार के अवर सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में 7 हजार अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी ऑदोलनरत् है 21 कर्मी आमरण अनशन पर है।	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुबंधकर्मी 2014के तर्ज पर समायोजन की मॉग कर रहे है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वीकृत पदों पर रोस्टर के अनुसार 10 वर्ष से कार्यरत अनुबंधकर्मियों को समायोजित करने पर विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यो?	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार की सहमति से हीं संभव है। वर्तमान में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–03/2023-55(21) स्व0/राँची, दिनांक– 02/03/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–25 वि0स0, दिनांक 14.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23

सरकार के उप सचिव

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, राँची सहित राज्य के अन्य जिलों में भूमि से संबंधित डिजिटल रिकॉड अभिलेख अपडेड नहीं है जिसके कारण बैंकों को सरकारी योजनाओं को लागु करने तथा ऋण देने में काफी परेशानी हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि परिशोधन पोर्टल अंतर्गत रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों तथा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज के आलोक में जाँचोपरान्त एवं सत्यापनोपरांत डिजिटल अभिलेख में अंकित त्रुटियों का निराकरण तथा छुटे हुए जमाबंदी की प्रविष्टि अंचल कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है एवं डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मामले के कारण लोगों को जमीन की खरीद–बिक्री करने में भी कठिनाई हो रही है तथा सरकार को राजस्व का भी नुकसान होने के साथ–साथ उक्त जिलों में खास महाल, भुईहरी के साथ साथ अन्य प्रतिबंधित जमीनों की खरीद–बिक्री में भू–माफियाओं तथा सम्बंधित पदाधिकारियों की मिली भगत में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सम्बंधित जिलों में सामने आई है, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों के जमीन का लगान रसीद तथा दाखिल खारीज कार्य बाधित है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के अभिलेखागारों की रख–रखाव तथा समुचित सुरक्षा के अभाव में फर्जीवाड़ा को प्रश्रय मिल रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में राज्य में सभी जिलों में जमीन से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटल रिकॉड में अपडेट करते हुए उक्त प्रतिबंधित जमीनों को वापस लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राजस्व अभिलेख यथा खतियान एवं पंजी–II का डिजिटाईजेशन करते हुए झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन किया गया है। साथ ही केन्द्रीय योजना DILRMP के तहत् Modern Record Room का अधिष्ठापन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अभिलेखागार में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों यथा– खतियान, केस रिकॉर्ड आदि को स्कैनिंग/डिजिटाईज्ड किया जा रहा है ताकि अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सके।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / निदे0 अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–08 / 2023...96/न्या... राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–405 / वि0स0, दिनांक– 24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-23

सरकार के अवर सचिव।

F:\Prem sir\ vidhan sabha Sec1 *(Vikrant)*

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–20 का प्रश्नोत्तर।

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है, कि राज्य भर के अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी, सीआई, सीओ के लापरवाही के कारण राज्य भर में दाखिल खारिज के 85 हजार, आवासीय प्रमाण–पत्र के 6 लाख, आय प्रमाण–पत्र के 4.10 लाख इसी तरह जन्म प्रमाण–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, पेंशन, जाति प्रमाण–पत्र, EWS जैसे प्रमाण–पत्र बनाये जाने के अधिसंख्या मामले लंबित है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
दिनांक–28.02.2023 तक जिलों में दाखिल–खारिज की विवरणीः–
<table>
<tr><th>दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या</th><th>निष्पादित वादों की संख्या</th><th>अस्वीकृत वादों की संख्या</th><th>लंबित वादों की संख्या</th><th>30 दिनों से अधिक लंबित वादों की संख्या</th><th>90 दिनों से अधिक लंबित वादों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1469396</td><td>658367</td><td>728082</td><td>82947</td><td>8822</td><td>808</td></tr>
</table>
दाखिल–खारिज वादों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों के निर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है, कि विद्यार्थियों एवं रैयत अंचल कार्यालय के कार्यशैली से उलझ कर रह जा रहे है तथा समय पर प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तौ क्या सरकार विद्यार्थियों एवं रैयतों के हित में लंबित मामले का निपटारा अविलम्ब करने एवं अंचल कार्यालयों में लापरवाह अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>दिनांक–24.02.2023 को निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में लंबित दाखिल–खारिज वादों एवं झारसेवा के माध्यम से निर्गत किये जा रहे Certificate की लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्नवत निदेश दिया गया :–
1. लंबित दाखिल–खारिज वादों का अंचलवार एवं हल्कावार समीक्षा की जाय और यह पता लगाये कि किस स्तर पर (CO/CI/KC) कितने दाखिल–खारिज मामलें कितने दिनों से लंबित है। यदि सेवा कें अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय में दाखिल–खारिज का निष्पादन किसी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया हो एवं जानबूझ कर लापरवाही/विलंब किया गया हो तो उन्हें Show Cause करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाय। एक सुनियोजित कार्य–योजना (Acion Plan) बना कर लंबित दाखिल–खारिज वादों का तीव्र गति से निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।
2. अंचलवार/हल्कावार झार–सेवा कें माध्यम से निर्गत किये जा रहे Certificate कीं समीक्षा करते हुए अगले 15 दिनों में Mission Mode में Certificate (जाति प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र/ आय प्रमाण–पत्र आदि) issue के कार्य में तीव्रता लायी जाय।</td></tr>
</table>

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 06/वि0स0(अ0सू0)–72A/2023 862 (6)/रा. राँची, दिनांक-02-03-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–404/वि0स0, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2023 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-28 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में दवा दुकान तथा उक्त दुकानों में टेलीमेडिसन व टेलीकंसल्टेंसी की मुफ्त सुविधा देने की योजना बनाई गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मात्र 22 पंचायतों में अबतक खण्ड (1) में वर्णित योजना का लाभ सरकार द्वारा दी गई, जबकि सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को ही उक्त योजना से संबंधित संकल्प जारी की गई थी, जिसके आधार पर राजमहल विधानसभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज ग्रामीण, राजमहल एवं उधवा अन्तर्गत एक भी पंचायत में इन योजनाओं की कोई कार्य नहीं हो पाई है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के मात्र 22 पंचायत नहीं, बल्कि 360 पंचायत में इस योजना के तहत अबतक औषधि अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चूकी है। साहेबगंज जिला के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के आलोक में सतगाछी एवं मिर्जापुर पंचायत में औषधि अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित दवा दुकानदारों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा सहायता व ऋण भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या-2070(D) दिनांक-21.10.2021 के कंडिका 4.6.7 के अनुसार कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत इच्छुक समस्त अनुज्ञाप्तिधारियों को अनुमान्य सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है एवं कंडिका 4.6.8 के अनुसार संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा इच्छुक एवं पात्र अनुज्ञप्तिधारियों को पारस्परिक समन्वय स्थापित करते हुए बैंक से ऋण दिलवाने में सहायता करने का प्रावधान है।
4.	यदि खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित योजना का लाभ राज्य के सभी पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में देने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-16/ औषधि-06-01/2023.....34 (16) दिनांकः- 02.03.2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके ज्ञापांक-503 वि0स0 दिनांक-25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0	माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि साइबर अपराधी और जालसाज निबंधन कार्यालयों से अंगूठे का क्लोन बनाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ठगी कर रहे हैं और ऐसे मामले अभी राँची के अरगोड़ा और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सामने आए हैं, जहाँ एक व्यक्ति के खाते से 2 लाख रूपये निकाल लिए गए हैं,	उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी, राँची के पत्रांक–140(i), दिनांक–28.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि साइबर सेल, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रकार के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं। प्रतिवेदित है कि वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि निबंधन कार्यालय से अंगूठे का क्लोन बनाकर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से पैसे की निकासी की जा रही है। दर्ज कांडों पर अनुसंधान की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि प्रकाशित समाचार में उल्लेखित एसपी स्तर के अधिकारी ने राँची सहित विभिन्न जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मियों की मिलीभगत होने की बात कही है,	विभागीय ज्ञाप सं0–735/रा0, दि0–23.02.2023 के प्रसंग में उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी, राँची के पत्रांक–140(i), दिनांक–28.02.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि कंडिका–02 का उत्तर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित है। उक्त के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–809, दिनांक–28.02.2023 द्वारा कंडिका–02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को प्रेषित कर दिया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में 3 वर्षों से अधिक एक ही निबंधन कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों और कर्मचारियों का अंतर–जिला स्थानांतरण करते हुए उक्त अंगूठे से क्लोन बनाकर एईपीएस से हुए सभी ठगी और जालसाजी की जाँच करवाते हुए दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना सं0–4315, दि0–23.08.2017 झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा–शर्त) नियमावली, 2017 की कंडिका–2(ड़) के अनुसार निम्नवर्गीय लिपिक का नियुक्ति प्राधिकार जिला निबंधक–सह–उपायुक्त हैं। जिला निबंधक–सह–उपायुक्त का अनुशंसा/मंतव्य प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् अंर्तजिला स्थानांतरण पर सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाता है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभागान्तर्गत निबंधन कार्यालय के लिपिक से संबंधित जालसाजी या ठगी का कोई मामला संज्ञान में नहीं है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0(वि0स0ताराo)–14/2023 844/ (3)/रा0 राँची, दिनांक– 02-03-2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–213/वि0स0, दिनांक–22.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/23

सरकार के उप सचिव।

408
28/02/2023

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता सत्यानन्द भोक्ता माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण युवाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है;	**स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है।
2	क्या यह बात सही है, कि कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण हेतु सरकार द्वारा जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की जाती है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के द्वारा विभिन्न कौशल योजनाओं के अंतर्गत जिला मुख्यालयों एवं प्रखण्डों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जा रहे है।
3	क्या यह बात सही है, कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र जैसे सुदुवर्त्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे युवक– युक्तियों के लिए 90 कि0मी0 दूरी तय कर प्रशिक्षण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;	**अस्वीकारात्मक।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के सूचीबद्ध प्रशिक्षण सेवा प्रदाता Mahendra Skills Training And Development Private Limited के द्वारा सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में पाटपुर रोड, बहरागोड़ा बस स्टैण्ड के पास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कौशल विकास योजना की व्यवस्था में सुधार करते हुए कम–से–कम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करने पर विचार रखती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष 2023–24 में 80 प्रखंड, वित्तीय वर्ष 2024–25 में 150 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में 264 प्रखंड में बिरसा योजना के अंतर्गत कौशल विकास केन्द्र खोलने की योजना है।

28/02/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–08/2023श्र0नि0–408 राँची, दिनांक– 28/02/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–144, दिनांक–21.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/02/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-08-2023 S अ० स०.docx

(80)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.03.2023 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-30 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प 711 (5), दिनांक-08.12.2021 द्वारा राज्य में निर्मित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में आवश्यक मानवबल के पद सृजन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित किया गया है ;	अस्वीकारत्मक। विभागीय संकल्प संख्या-523(15) दिनांक-29.09.2022 द्वारा राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों का सृजन किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य उप केन्द्रो में चिकित्सकों/ चिकित्साकर्मियों के कमी के कारण जिन उद्देश्यों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई थी उसे अबतक पूरा नही किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैसे स्वास्थ्य केन्द्र तथा नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ एक भी चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, के रिक्त पदों के विरुद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं तत्पश्चात विभागीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में 173 चिकित्सकों के पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पारामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति झारखण्ड परीक्षा संचालन नियमावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संशोधन के पश्चात् की जा सकेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानवबल की कमी को दूर कर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगो को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-15/ (वि0स0)-07-06/2023...ज.।(15) दिनांकः- 01/03/2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके ज्ञापांक-502 वि0स0 दिनांक-25.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.03.2023

सरकार के अपर सचिव।

श्री नवीन जयसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–04 दिनांक 03.03.2023 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में यहाँ के जनता को आपातकाल की स्थिति में समय पर अस्पताल पहूँचाने के लिए 108 एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। वर्ष 2011 में राज्य में आबादी के हिसाब से मात्र 337(108 एम्बुलेन्स) चलायी जा रही है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में आबादी के बढने के अनुपात और लोगों में इनकी मॉग को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त 206 (108 एम्बुलेन्स) की खरीदारी की है, जो पिछले कई माह से NHM नामकुम परिसर में कबाड की स्थिति में पडी हुई है, विभाग की लापरवाही, पुराने सेवा प्रदाता कंपनी का अनुबंध का समाप्त होना एवं नये सेवा प्रदाता कंपनी का चयन नही होना, इन सब कारणों से रोजाना राज्य में लगभग 200 मरीजो को 108 एम्बुलेन्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है;	• JMHIDPCL कार्यालय स्तर से 206 नये एम्बुलेंस के क्रय हेतु M/s Sanatan Bus Body Builders Pvt. Ltd. को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया है। • अब तक M/s Sanatan Bus Body Builders Pvt. Ltd. द्वारा 115 (BLS-88, ALS-20 & NN-7) एम्बुलेंस की आपूर्ति JMHIDPCL कार्यालय को की गई है। • उक्त 115 आपूरित नये एम्बुलेंस में से जॉचोपरांत 75 एम्बुलेंस (BLS-48, ALS-20 & NN-7) राज्य वेयर हाउस नामकुम को हस्तगत कर दी गई है। • पुराने सेवा प्रदाता एजेन्सी का अनुबंध समाप्त हो गया है। तत्काल कार्यहित में पुराने सेवा प्रदाता को अल्पकालीन अवधि विस्तार प्रदान करते हुए एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। • नई एजेंसी के चयन हेतु निविदा प्रकियाधीन है। • वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 250 से अधिक मरीजो को रेफरल सेवा प्रदान किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित एवं यहाँ के मरीजो की जरूरत को देखते हुए खरीदारी की गई 206 एंबुलेन्स को जरूरतमंद मरीजो के उपयोग में देने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नही तो क्यों?	नई एजेन्सी के चयन हेतु निविदा प्रकियाधीन है। एजेन्सी के चयन उपरांत नये आपूरित सभी एम्बुलेंसों का संचालन आरंभ कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–03/2023 54(21) स्वा0 राँची, दिनांक-- 02/03/2023

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–54 वि0स0, दिनांक 17.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.23

सरकार के उप सचिव।

(82)

442
01/03/2023

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–16 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्नकर्त्ता **श्री जय प्रकाश भाई पटेल,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि श्रम विभाग द्वारा प्रखण्ड स्तरीय श्रमिक मित्रों को नियुक्त किया गया है;	अस्वीकारात्मक। प्रखण्ड स्तरीय श्रमिक मित्रों का चयन झारखण्ड सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है, कि विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनायें यथा सेफ्टी किट, श्रमिक औजार सहायता, साईकिल सहायता योजना, मेघावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना, समेकित आम आदमी बीमा योजना, झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता आदि कार्यों का संचालन श्रमिक मित्रों के माध्यम से संचालित की जाती है;	अस्वीकारात्मक। • विभाग के अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं यथा सेफ्टी किट, श्रमिक औजार सहायता, साईकिल सहायता योजना, मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना, समेकित आम आदमी बीमा योजना, झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजनान्तर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों को लाभ दिलाने में श्रमिक मित्रों का सहयोग लिया जाता है। • प्रावधानानुसार, निबंधित श्रमिकों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के एवज में उन्हें प्रति लाभुक 10 रूपये प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान किया जाता है। • प्रति निबंधन 15 रूपये तथा माह में 50 से अधिक निबंधन करने पर 50 से ऊपर प्रति लाभुक 20 रूपये की दर से प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान किया जाता है। • लाभुकों के नवीकरण करने पर प्रति लाभुक 10 रूपये का प्रोत्साहन/मानदेय राशि का भुगतान किया जाता है। तथा • मोबाईल टॉक टाइम कूपन हेतु 100 रूपये प्रतिमाह दिया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि श्रमिक मित्रों का उचित मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा प्रखण्ड श्रम निरीक्षकों का पद रिक्त रहने के फलस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। श्रमिक मित्रों का उचित मानदेय का भुगतान से संबंधित वस्तुस्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी संबंधित श्रमिकों को लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्रम निरीक्षकों को प्रखण्ड में पदस्थापित कर एवं श्रमिक मित्रों को उचित मानदेय अथवा नियमितिकरण करने के विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका 1, 2 एवं 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

01/03/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-12-2023 L.docx

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–12/2023श्र0नि0–442 राँची, दिनांक– 01/03/2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–346, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-12-2023 L.docx

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ० लम्बोदर महतो माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के सभी जिले में 3.62 एकड़ से अधिक जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला लंबित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित विचाराधीन मामले (Approx): 1,68,810 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से सबंधित विचाराधीन मामलों में सन्निहित कुल रकबा (एकड़ में) (Approx): 3,72,862 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से संबंधित निष्पादित मामले: 15,490 झारखण्ड राज्य में अवैध जमाबंदी से सबंधित विचाराधीन मामलों में सन्निहित कुल रकबा (एकड़ में) (Approx): 25,471.56
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला स्तर एवं राज्य स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० वि०स० (अ०सू०)–29/2023.....842/.....(5)/रा० राँची, दिनांक–02-03-2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–350/वि०स०, दिनांक–23.02.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-2023
सरकार के अवर सचिव।